उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या–696/III(1)/16–13(सामान्य)/2006
देहरादून, दिनांक 25 मई, 2016

अधिसूचना संख्या–664/III(1)/16–13(सामान्य)/2006, दिनांक 20 मई, 2016 को प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अमीन सेवा नियमावली, 2016"** की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को नियमावली की हिन्दी की प्रति को इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां लोक निर्माण विभाग, अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

पृ0सं0-314/II का0प्र0(अधि0)/16 दिनांक 02/06/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा/देहरादून/हल्द्वानी/टिहरी/पिथौरागढ़/रा0मा0 देहरादून/हल्द्वानी।
(2) गार्ड पत्रावली।

02/06/16

Badoni

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण विभाग
संख्या 664 / III(1) / 16–13(सा0) / 2006
देहरादून, दिनांक 20 ~~मार्च~~ मई, 2016

अधिसूचना
विविध

'राज्यपाल, भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में अमीन सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अमीन सेवा नियमावली, 2016

भाग 1 – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (लोक निर्माण विभाग) अमीन सेवा नियमावली, 2016 है।
(2) यह तत्काल प्रभावी होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड (लोक निर्माण विभाग) अमीन सेवा एक अधीनस्थ राज्य सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद सम्मिलित है।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–
(क) "नियुक्त प्राधिकारी" से मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग अभिप्रेत है।
(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का संविधान के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक समझा जाय।
(ग) "आयोग" से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है।
(घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है।
(ड़) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।
(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।
(छ)"सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।
(ज)"सेवा" से उत्तराखण्ड (लोक निर्माण विभाग) अमीन सेवा अभिप्रेत है।
(झ)"मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यकलाप अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।
(ञ)"भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2—संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय—समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्यके श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, जो परिशिष्ट—1 में दी गयी हैं। परन्तु उपबन्ध यह है कि—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेगें अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेगें, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझे।

भाग 3—भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी —

अमीन (1) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा।

(2) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वर्क एजेण्ट, मेट, बेलदार चौकीदार, नीलमुद्रक एवं अनुसेवकों में से जिन्होंने विभाग से अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त नियम 8 में विहित अर्हतायें अर्जित की हो, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 05 वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा"

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त, सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4—अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रर्वजन किया हो, परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) से सम्बन्धित वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये भी पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणीः–

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में न पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें

8. (एक) सेवा में भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(दो) किसी शासकीय प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त अथवा शासन द्वारा संचालित क्षमता उन्नयन (skill development/ upgradation) कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वे/अमीन सम्बन्धी कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त अथवा आई0टी0आई0 से सर्वेयर/मानचित्रकार ट्रेड में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

अधिमानी अर्हतायें

9. अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः–

(एक)प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो,

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। उसे अन्य बातें समान होते हुये भी अधिमान दिया जायेगा।

(तीन)स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

(क) **अनिवार्य अर्हता**– लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञाप्ति की जाय, 01जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष के 01 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते है, तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ायी जायेगी, जैसा की विहित किया जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से समबद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हों, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी।

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में सीधी भर्ती के किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने से बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग 3 के अध्याय 3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग 5–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश के लिए विहित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ,निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्रारूप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा–

(एक) ऐसे दो दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(3) उपनियम (2) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(4) (क) चयन के लिए 100 अंकों की एक लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, छटनीशुदा कर्मचारियों के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 05 अंक व अधिकतम 15 अंक का अधिमान दिया जायेगा। प्रवीणता सूची लिखित के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ख) वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा सामान्य हिन्दी का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ग) लिखित परीक्षा के प्रश्न– बुकलेट परीक्षा के पश्चात, अभ्यर्थियों को

अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा की उत्तर सीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ड) लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Sheet) को उत्तराखण्ड की वैबसाईट www.ua.nic.in पर या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित की जायेगी।

(5) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों, जिसमें छटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों से जैसा प्रकट हो, सम्मिलित होंगे, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या, से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी।

(6) जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों का कुल योग, व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर, जनपद के जिला कार्यालय व सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(7) सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा, छटनीशुदा कर्मचारियों के अंकों को तथा यथा स्थिति अधिमानी अर्हता में प्राप्त अंको को वर्गीकृत करते हुए) अधिकतम अंक के साथ अवरोही क्रम में उत्तराखण्ड की अधिकारिक वैबसाईट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

चयन समिति का गठन

16. अमीन के पदों पर सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी – मुख्य अभियन्ता। **अध्यक्ष**

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम निदिष्टि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसे अधिकारी का नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का ना हो– **सदस्य**

(तीन) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का न हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का एक अधिकार नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गो का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसे अधिकारी का नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो – **सदस्य**

टिप्पणी :–

यदि विभाग या संगठन में ऐसे उपर्युक्त अधिकारी न हो तो ऐसा अधिकारी, नियुक्त प्राधिकारी के अनुरोध पर, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि उपर्युक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण नियुक्त अधिकारी ऐसा करने में असफल रहें तो ऐसा अधिकारी प्रमुख अभियन्ता द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा:– सदस्य

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक राजपत्रित अधिकारी (श्रेणी प्रथम) जो उस पद का पर्यवेक्षीय हैसियत रखते हो, जिसके लिए चयन किया जाय — सदस्य

(तीन) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग का एक अधिकारी — सदस्य

(2)नियुक्त प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3)चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के नामों पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम, में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय, तो नियुक्ति प्राधिकारी एक संयुक्त चयन सूची तैयार करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से ऐसी रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6 नियुक्ति परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15, 17 व 18 के अधीन तैयार की गई सूचियों में हो।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों श्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा,

जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उच्च ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसे यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाय या जैसे कि उस संवर्ग में हो, जिसमें उन्हें पदोन्नति किया जाय।

(4) यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के द्वारा की जाय तो नियम 18 के निदृष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय,

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हो, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या उसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी, संवर्ग में सम्मिलित किसी पद या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थापन्न या अस्थाई रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

21. सीधी भर्ती के (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाये गये परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसको नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि –

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थाई किये जाने के लिए अन्यथा उपर्युक्त हो

(घ) अमीन का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया हो।

ज्येष्ठता

22. सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग – 7 वेतन इत्यादि

वेतनमान

23. सेवा में पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। **(परिशिष्ट–1)**

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा मे न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा

के पश्चात तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया गया हो,

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी, जब तब नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा,

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तब नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमो द्वारा विनियमित होगा।

भाग 8 — अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशो पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रमाण उसे नियुक्ति के लिए अर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

28. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हों।

आज्ञा से

(डी0एस0गर्ब्याल)
सचिव

परिशिष्ट–1

क0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		कुल पद
			अस्थायी	स्थायी	
1.	अमीन	5200–20200 ग्रेडवेतन–2000	–	145	145

आज्ञा से

(डी0एस0गर्ब्याल)
सचिव